रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270254
CG-DL-E-18022026-270254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 800] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 838(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं 25 .तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत-:

(1)	(2)	(3)
"25	नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं 10.[सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट - सेवोक (कोरोनेशन ब्रिज) - कलिम्पांग - पश्चिम बंगाल/सिक्किम सीमा खंड (किमी. 66.00) तक को छोड़कर], संख्या 12[डालखोला-बरासात खंड (पुराने एनएच-34 के किमी. 31.00 से किमी. 452.70 तक), पुराने एनएच-2ई (बेलघोरिया एक्सप्रेसवे) (7.363 किमी) को छोड़कर और साथ ही पुराने एनएच-117 (कोना एक्सप्रेसवे) के किमी. 0.00 से किमी. 7.337 तक को छोड़कर], संख्या 112, संख्या 512, संख्या 14, संख्या 114, संख्या 114ए, संख्या 314, संख्या 116बी, संख्या 17, संख्या 317, संख्या. 517, संख्या 717ए, संख्या 218, संख्या 419, संख्या 327, संख्या 327बी, संख्या 131ए, संख्या 133ए के उतने भाग जो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/6/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का(अ) 1096 .आ., तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का-.आ.**444**(अ), तारीख 30 जनवरी20 ,26 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 838(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"25	So much of new National Highways No. 10 [excluding from Sevoke Army Cantonment - Sevoke (Coronation Bridge) – Kalimpang - Up to West Bengal/Sikkim border section (Km. 66.00)], No. 12 [excluding from Dalkhola-Barrasat section (Km. 31.00 to Km. 452.70 of Old NH-34), excluding Old NH-2E (Belghoria Expressway) (Km. 7.363) and also excluding from Km. 0.00 to Km. 7.337 of old NH-117 (Kona Expressway)], No. 112, No. 512, No. 14, No. 114, No. 114A, No. 314, No. 116B, No. 17, No. 317, No. 517, No. 218, No. 419, No. 327, No. 327B, No. 131A, No. 133A as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal".

[F. No. NH-14013/6/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 444 (E), dated the 30th January, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.18 16:09:37 +05'30'